न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 121/2019
GCMS NO. : 2019/00185

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. पुखराज पुत्र नेनाराम		1. माखनदास पुत्र मदनदास
2. हरिराम पुत्र मूलाराम		2. पप्पूदास पुत्र मदनदास
3. प्रभुराम पुत्र रामाराम		3. सज्जनदास पुत्र मदनदास
4. हापूराम पुत्र हरजीराम		4. चेतनदास पुत्र मदनदास
5. धर्मीचंद पुत्र मांगीलाल		5. ओमप्रकाश पुत्र मदनदास
6. भाखरराम पुत्र शंकरराम जाति माली निवासी रास तहसील जैतारण जिला पाली।		6. गणपतदास पुत्र सुवादास जाति– वैष्णव, निवासीगण– रास, तहसील– जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 **तारीख रजू:–01.08.2019**

उपस्थितः–

1. श्री चुतराराम भाटी एवं जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः–16/06/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रास पटवार हल्का रास प्रथम में सायलान की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 1455 रकबा 04–12 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है जिसकी जमाबंदी संवत 2073–2076 की प्रमाणित नकल व ट्रैस नक्शा की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। सायलान की उक्त खातेदारी जमीन सरहद मोजा रास में आई हुई है जिस पर सायलान का वक्त सेटलमेंट से आज दिन तक शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। सायलान के अलावा उक्त आराजी पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त नही है। सायलान की उक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन पर गैर सायलान ने दिनांक 30.07.2019 को कब्जा कर ने की कोशिश की एवं गैरसायलान सायलान की उक्त खातेदारी जमीन में पत्थर डाल दिए और नींवे खोदनी शुरु कर दी जबकि सायलान की उक्त खातेदारी जमीन में गैर सायलान की जबरदस्ती कब्जा करके मकान बनाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त है। गैरसायलान सायलान की उक्त भूमि पर कानून हाथ में लेकर विधिविरूद्ध कब्जा करके रात बिरात पक्का निर्माण करने पर आमादा है। जबकि गैरसायलान का उक्त मुतनजा भूमि पर कोई किसी प्रकार का हक, अधिकार नही होते हुए यह जानते हुए कि उक्त आराजी की खातेदारी सायलान के नाम है उसके उपरान्त भी लाठी के बल पर कानून हाथ में लेकर कब्जा कर पक्का निर्माण करना चाहते है। दिनांक 30.07.2019 को गैरसायलान द्वारा सायलान की खातेदारी जमीन में जबरदस्ती नींवे खोदने की कोशिश की तब सायलान ने पुलिस थाना रास में रिपोर्ट पेश की इसलिए गैरसायलान की हरकतो को देखते हुए गैरसायलान को सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन में दखलन्दाजी करने से रोका जाना जरूरी है। उक्त भूमि आबादी के पास आई हुई है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

उक्त जमीन किमती होने से गैरसायलान की नियत बद हो गई है रात बिरात नाजायज तौर से कब्जा करके पक्का निर्माण करना चाहते है लेकिन सायलान गैरसायलान को उक्त मुतनाजा भूमि पर किसी सुरत में कब्जा करने व पक्का निर्माण नही करने देंगे यदि गैरसायलान जबरदस्ती उक्त भूमि पर निर्माण करेंगे तो मौके पर खून खच्चर होगा एवं उक्त भूमि को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। लेकिन गैरसायलान यह जानते हुए उक्त भूमि कि खातेदारी हमारे नाम की नही लेकिन जान बूझकर झगड़ा करने की नियत से पक्का निर्माण करने पर आमादा है। गैर सायलान ने नाजायज तरीके से सायलान की खातेदारी भूमि की बनी माठ को खुर्द बुर्द कर नीचे नाजायज रूप से कानून हाथ में लेकर केवल मात्र लाठी बल पर खोदकर पक्का निर्माण करना चाहते है इसलिए सायलान व गैरसायलान की जमीन का नाप कर सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना अनिवार्य है। गैरसायलान का उक्त भूमि पर कोई अधिकार नही होते हुए भी झगड़ा कर कब्जा करने पर उतारू है। इसलिए गैरसायलान को उक्त मुतनाजा भूमि पर कब्जा करने व कच्चा या पक्का निर्माण करने से जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी है यदि गैरसायलान बलपूर्वक कब्जा कर निर्माण करेगे तो सायलान हरगिज ऐसा नही करने देंगे जिससे मौके पर लड़ाई झगड़ा होगा जिससे सायलान जेर बार हो जायेगे तथा विविध प्रकार के मुकदमें बाजी होगी जिससे सायलान को असीम नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति गैरसायलान किसी भी सूरत में अदा नही कर सकेंगे। इसलिए गैरसायलान को उक्त आराजी पर कच्चा या पक्का निर्माण करने व कब्जा करने व सायलान के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का अवरोध, बाधा आदि करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी है। मुतनाजा जमीन सायलान की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने से प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में है एवं सुविधा का संतुलन भी सायलान के हक में है यदि गैरसायलान लाठी के बल पर पर नाजायज तौर से सायलान की कमजोरी का फायदा उठाकर कब्जा कर कच्चा या पक्का निर्माण कर लेंगे व सायलान के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करेंगे तो सायलान अपने जायज अधिकारो से वंचित रह जायेगा। जिससे सायलान को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति गैरसायलान किसी भी सूरत में अदा नही कर सकेंगे। इसलिए गैरसायलान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा सायलान की उक्त खातेदारी भूमि पर नीवे खोदने व कच्चा या पक्का निर्माण करने व सायलान की उक्त जमीन पर कब्जा करने व सायलान के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से रोका जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण की बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

बहस अधिवक्ता वादी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति [illegible] सिलसिलेवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:20 IST
Reason: SelfAttested

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपनी खातेदारी आराजी के संबंध में हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रास प्रथम में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1455 रकबा 04-12 बीघा, प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी भूमि

कार्यवाहक अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

है। जिस पर प्रार्थीगण का वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त रहा है। उक्त भूमि पर गैरसायलान दिनांक 30.07.2019 को कब्जा करने की नियत से पत्थर डालकर नीवे खोदना शुरू कर दी जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। गैरसायलान कानून हाथ में लेकर सायलान की भूमि पर कब्जा कर पक्का निर्माण करने पर उतारू है जिन्हे रोका जाना आवश्यक है।

अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चूकी है, वादग्रस्त आराजी ग्राम रास प्रथम की जमाबंदी के अनुसार खसरा संख्या 1455 रकबा 4-12 बीघा प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान् की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण खातेदार नही है। इस प्रकार चूंकि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है तथा अप्रार्थीगण खातेदार नही है अतः प्रथम दृष्टया मामला अभिलेख से प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः यह बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व (03) अपूर्णनीय क्षति :- प्रथम दृष्ट्यां मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुआ है, साथ ही चूंकि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है साथ ही अप्रार्थीगण खातेदार नही है। लिहाजा खातेदार होने के कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है, साथ ही यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तथा अप्रार्थीगण खातेदार नही होते हुए भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा आदि करने का प्रयास करते है तो निश्चित तौर पर अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को ही होगी। अतः उपर्युक्त दोनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किए जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया सफल रहे हैं तथा प्रार्थना पत्र सारवान होने एवं बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसलावाद वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द नही करने, वादग्रस्त आराजी में कब्जा नही करने, किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-::आदेश::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है कि सरहद मौजा रास पटवार हल्का रास प्रथम के खसरा संख्या 1455 रकबा 04-12 बीघा किस्म बारानी अव्वल में ताफैसलावाद वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द नही करे, वादग्रस्त आराजी में कब्जा नही करे तथा किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण आदि नही करे। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 16/06/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)